



भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

प्रलिस के लयः

भारतीय उच्च शकषा आयोग, राषट्रीय शकषा नीतऱ, वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग

मैनस के लयः

राषट्रीय शकषा नीतऱका महत्त्व, एचईसीआई के कारय और चुनौतऱयऱँ

चर्चा में क्यऱँ?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कऱवह [भारतीय उच्च शकषा आयोग का मसऱदा \(वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग का नरऱसन अधनऱयऱम\) वधऱयक, 2018](#) के मसऱदे पर फरऱ से काम कर रहे हऱँ, जो कॉलेज और वशऱवदऱयालय स्तर की शकषा हेतु [भारतीय उच्च शकषा आयोग \(HECI\)](#) को जीवंत करेगा ।

- नया संशोधतऱ मसऱदा भी [भारत की राषट्रीय शकषा नीतऱ](#) के अनुरूप होगा ।

भारतीय उच्च शकषा आयोग वधऱयक, 2018 का मसऱदा:

■ परचऱय:

- यह वधऱयक "भारतीय उच्च शकषा आयोग का मसऱदा (वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग का नरऱसन अधनऱयऱम) वधऱयक, 2018" से संबधतऱ है ।
- इसे जनवरी, 2018 में पेश कऱया गया था ।
 - लेकनऱ इसे कभी अंतऱमऱ रूप नहीं दऱया गया और दो वर्ष के भीतर [राषट्रीय शकषा नीतऱ 2020](#) की घोषणा की गई ।

■ प्रमुख बऱदऱ:

- यह वधऱयक [वशऱवदऱयालय अनुदान आयोग अधनऱयऱम, 1956](#) को नरऱस्त करता है और [भारतीय उच्च शकषा आयोग \(HECI\)](#) की स्थापना करता है ।
- HECI नऱमऱनलखऱतऱ दऱवारा उच्च शकषा में शैक्षणऱकऱ मानकऱँ को बनाए रखेगाः
 - पाठयकरमऱँ के लयऱ सीखने के परणऱमऱँ को नरऱदषऱट करना ।
 - कुलपतऱयऱँ के लयऱ पात्रता मानदंड नरऱदषऱट करना ।
 - न्यूनतम मानकऱँ का पालन करने में वफऱल रहने वाले उच्च शकषण संस्थानऱँ को बंद करने का आदेश ।
- डगऱरी या डऱपऱलोमा प्रदान करने का अधकऱर प्राप्त प्रत्येक उच्च शकषण संस्थान को अपना पहला [शैक्षणऱकऱ संचालन शुरु करने के लयऱ HECI में आवेदन करना होगा](#) ।
 - HECI के पास नरऱदषऱट आधारऱँ पर अनुमतऱरऱद करने की शकत्तऱ भी है ।
- वधऱयक केंद्रीय मानव संसाधन वकऱस मंत्रऱी की अधकषत्ता में एक सलाहकार परषऱद के गठन का भी प्रावधान करता है ।
 - परषऱद केंदर और राज्क्यऱँ के बीच उच्च शकषा में समन्वय और मानकऱँ के नरऱधारण के लयऱ सलाह देगी ।

■ कवरेज:

- यह वधऱयक नऱमऱन 'उच्च शकषण संस्थानऱँ' पर लागू होगा जसऱमें शामिल हऱँः
 - संसद या राज्क्य वधऱनसभाओं के अधनऱयऱमऱँ दऱवारा स्थापतऱ वशऱवदऱयालय ।
 - वशऱवदऱयालय और कॉलेज के रूप में स्थापतऱ संस्थान ।
 - इसमें राषट्रीय महत्त्व के संस्थान शामिल नहीं हऱँ ।

वर्ष 2018 के वधऱयक में प्रमुख चुनौतऱयऱँ:

■ स्वायत्तता:

- वधऱयक का उददेश्य उच्च शकषण संस्थानऱँ की स्वायत्तता को बढावा देना है ।

- हालाँकि विधायक के कुछ प्रावधान इस घोषित उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के बजाय विधायक HECI को व्यापक नियामक नियंत्रण प्रदान करता है।
- **नियामक क्षेत्र:**
 - वर्तमान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों को 14 व्यावसायिक परिषदों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
 - इनमें से यह विधायक कानूनी और वास्तुकला शिक्षा को HECI के दायरे में लाने का प्रयास करता है।
 - यह स्पष्ट नहीं है कि केवल इन दो क्षेत्रों को ही HECI के नियामक दायरे में क्यों शामिल किया गया है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के अन्य क्षेत्रों को नहीं।
- **अनुदानों का वितरण:**
 - वर्तमान में UGC के पास विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने और वितरित करने का अधिकार है।
 - हालाँकि यह विधायक UGC की जगह लेता है, लेकिन इसमें अनुदानों के वितरण के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं है।
 - इससे यह सवाल उठता है कि क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान के वितरण में HECI की कोई भूमिका होगी।
- **स्वतंत्र वनियम:**
 - वर्तमान में केंद्रीय उच्च शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों को समन्वय और सलाह देता है।
 - यह विधायक एक सलाहकार परिषद का निर्माण करता है और HECI को अपनी सफारिशों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
 - यह HECI को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है।

HECI के कार्य:

- HECI उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के तरीकों की अनुशंसा करेगा।
- यह नमिनलिखित मानदंड निर्दिष्ट करेगा:
 - पाठ्यक्रमों के लिये सीखने के परिणाम।
 - शिक्षण और अनुसंधान के मानक।
 - संस्थानों के वार्षिक शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने के लिये मूल्यांकन प्रक्रिया।
 - संस्थानों का प्रत्यायन।
 - संस्थानों को बंद करने का आदेश।
- इसके अलावा HECI कई अन्य मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है:
 - शैक्षणिक संचालन शुरू करने के लिये संस्थानों को प्राधिकरण प्रदान करना।
 - उपाधियाँ डिप्लोमा प्रदान करना।
 - विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों की संबद्धता।
 - स्वायत्तता प्रदान करना।
 - श्रेणीबद्ध स्वायत्तता।
 - कुलपतियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड।
 - संस्थानों की स्थापना और समापन।
 - शुल्क वनियमन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का महत्त्व:

- शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना:
 - 3 वर्ष की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल अपनाने की नीति बच्चे के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 वर्ष की उम्र के प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को दर्शाती है।
- साइलो मानसिकता से दूरी:
 - नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणज्य और वजिज्ञान धाराओं के वभिजन में लचीलापन लाना है।
 - साइलो मानसिकता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब कुछ विभाग या क्षेत्र एक ही कंपनी में दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं।
- शिक्षा और कौशल का संगम:
 - इंटरनशिप के साथ वोकेशनल कोर्स की शुरुआत।
 - यह समाज के कमजोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।
- शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना:
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) प्रस्तावित है।
- वदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति:
 - दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने के लिये "सुवधि" दी जाएगी।
- हिंदी बनाम अंगरेजी बहस समाप्त करना:
 - यह कम-से-कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देता है, जिससे शिक्षण का सबसे

अच्छा माध्यम माना जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत् विकास लक्ष्य -4 (2030) के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना पर वचार करता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2020)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/higher-education-commission-of-india>

